"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 97] रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 मार्च 2006—चैत्र 8, शक 1928

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 29 मार्च, 2006 (चैत्र 8, 1928)

क्रमांक-5223/विधान/2006.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ होटल तथा वासगृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 5 सन् 2006), जो दिनांक 29 मार्च, 2006 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 5 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ होटल तथा वासगृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006

छत्तीसगढ़ होटल तथा वासगृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 (क्र. 13 सन् 1988) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

1. (एक) इस अधिनियम का नाम छत्तीसगढ़ होटल तथा वासगृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2006 है.

(दो) यह दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से प्रवृत्त होगा.

धारा 2, 4, 6, 7 एवं 8 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ होटल तथा वासगृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 (क्रमांक 13 सन् 1988) (जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है) की धारा 2, 4, 6, 7 एवं 8 में, जहां कहीं भी शब्द एवं अंक "वाणिज्यिक कर अधिनियम" या "वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995)" आये हों, के स्थान पर शब्द एवं अंक "छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005)" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 6 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 6 में, अंकों "3, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 एवं 80" के स्थान पर अंकों "3, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 एवं 73" को प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 8 (5) का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (5) में अंक "22" के स्थान पर अंक "16" प्रतिस्थापित किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा दिनांक 25-2-2006 को वर्ष 2006-07 के लिये प्रस्तुत बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार दिनांक 1-4-2006 से छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम के स्थान पर "छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005" लागू होगा.

दिनांक 1-4-2006 से छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम लागू होने पर छत्तीसगढ़ होटल तथा वासगृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 की धाराओं में प्रयुक्त "वाणिज्यिक कर अधिनियम" एवं उसकी धाराओं के स्थान पर "छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005" एवं उसकी धाराओं का प्रतिस्थापन आवश्यक है. अतः राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ होटल तथा वासगृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006 को प्रस्तुत करने का विनिश्चय किया है.

अत: विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 21-03-2006

अमर अग्रवाल
वाणिज्यिक कर मंत्री
(भारसाधक सदस्य).

उपाबंध

छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 (क्रमांक 13 सन् 1988) की धारा 2, 4, 6, 7 एवं 8 के वर्तमान प्रावधान निम्नानुसार है :—

* * * * * * * * * * * * * * *

धारा 2 (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,
परिभाषाएं.

(क) ''कारबार'' के अंतर्गत है किसी होटल मालिक द्वारा धनीय प्रतिफल के लिए आम सुविधा उपलब्ध कराने का क्रिया-कलाप और वास-सुविधा उपलब्ध कराने के ऐसे क्रियाकलाप से सम्बद्ध आनुषंगिक या सहायक कोई अन्य सेवा उपलब्ध कराने का क्रियाकलाप,

(ख) किसी होटल में उपलब्ध कराई जाने वाली विलास-वस्तु के संबंध में ''रियायती दर'' से अभिप्रेत है ऐसी विलास वस्तु के लिए होटल मालिक द्वारा नियत प्रसामान्य दर से निम्न दर या किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा, या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन नियत दर से निम्न दर,

(ग) ''होटल'' के अंतर्गत है कोई वास स्थान, वासगृह, सराय, सार्वजनिक गृह या कोई ऐसा भवन या उसका भाग जहां कारबार के अनुक्रम में वास-सुविधा उपलब्ध कराई जाती है.

(घ) ''होटल मालिक'' से अभिप्रेत है होटल का स्वामी और उसके अंतर्गत है ऐसा व्यक्ति जो तत्समय होटल के प्रबंध का भारसाधक है,

(ङ) ''होटल में उपलब्ध कराई जाने वाली विलास वस्तु'' से अभिप्रेत है किसी होटल में उपलब्ध कराई जाने वाली वास-सुविधा और अन्य सेवाएं जिनके लिए प्रभार की दर, वातानुकूलन, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, संगीत, मनोरंजन, अतिरिक्त बिस्तर और उसी प्रकार की वस्तुओं के लिए प्रभारों को सम्मिलित करते हुए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन साठ रुपये या उससे अधिक हैं, किन्तु उसमें खाद्य और पेय का प्रदाय सम्मिलित नहीं है, वहां ऐसे प्रदाय के लिए पृथक से प्रभार लिया जाता है,

(च) ''व्यक्ति'' के अंतर्गत है कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, और उसके अंतर्गत हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, कोई फर्म, कोई स्थानीय प्राधिकरण, कोई राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार भी है,

(छ) ''कारबार का स्थान'' के अंतर्गत है कोई कार्यालय या कोई ऐसा अन्य स्थान जिसे होटल मालिक अपने कारबार के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाता है या जहां वह अपनी लेखाबहियां रखता है,

(ज) ''रसीद'' से अभिप्रेत है किसी होटल में उपलब्ध कराई गई किसी विलास वस्तु के लिए होटल मालिक या उसके अभिकर्त्ता द्वारा प्रदत्त या प्राप्त किए जाने योग्य धनीय प्रतिफल की रकम, किन्तु उसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन देय और होटल मालिक द्वारा पृथक रूप से संग्रहीत कर नहीं होगा,

(झ) ''रजिस्ट्रीकृत होटल मालिक'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई होटल मालिक,

(ञ) ''वाणिज्यिक कर अधिनियम'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995),

(ट) किसी कालावधि के संबंध में ''कुल राशि'' से अभिप्रेत है किसी होटल मालिक द्वारा होटल में उपलब्ध कराई गई विलास-वस्तुओं की बाबत उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्ति योग्य प्राप्तियों की कुल रकम,

(2) उन सभी अभिव्यक्तियों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है और जो विक्रय कर अधिनियम में परिभाषित है, वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके लिए दिये गये हैं.

* * * * * * * * * * * * * * *

धारा 4 प्रभार और कर की दर.

(1) किसी होटल मालिक द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय कर निम्नलिखित दरों से प्रभावित किया जाएगा, अर्थात् :—

(एक) जहां किसी होटल में उपलब्ध कराई गयी विलास-वस्तु के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्रभार :—

(क) एक सौ पचास रुपये से कम है—कुछ नहीं

(ख) एक सौ पचास रुपये या उससे अधिक किन्तु पांच सौ रुपये से अधिक नहीं है—कुल राशि का पांच प्रतिशत

(ग) पांच सौ रुपये से अधिक है—कुल राशि का दस प्रतिशत

(दो) जहां किसी हॉल, लॉन या गार्डन में उपलब्ध कराई गई जगह या अन्स सेवा के लिये प्रतिदिन प्रभार :—

(क) तीन हजार रुपये से कम है—कुछ नहीं

(ख) तीन हजार रुपये या उससे अधिक किन्तु दस हजार रुपये से अधिक नहीं है—कुल राशि का पांच प्रतिशत

(ग) दस हजार रुपये से अधिक है—कुल राशि का दस प्रतिशत

(2) जहां किसी होटल में उपलब्ध कराई गई विलास-वस्तु के प्रभारों के अतिरिक्त, लेखा प्रभार उद्गृहीत किये जाते हैं और होटल मालिक द्वारा विनियोजित कर लिए जो हैं और कर्मचारी वृन्द को संदत्त नहीं किए जाते हैं, यहां ऐसे प्रभारों के संबंध में यह समझा जाएगा कि वे होटल में उपलब्ध कराई गई विलास-वस्तु के लिए प्रभारों के भाग हैं.

(3) जहां किसी होटल में किसी व्यक्ति को (जो होटल का कर्मचारी नहीं है) उपलब्ध कराई गई विलास-वस्तु के लिए बिल्कुल कोई प्रभार नहीं लिया जाता है, या रियायती दर पर प्रभार लिया जाता है, वहां ऐसा होने पर भी ऐसी विलास-वस्तु पर उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दरों पर कर उद्ग्रहीत किया जाएगा, मानों ऐसी विलास-वस्तु के लिए होटल मालिक से पूर्ण प्रभार संदत्त कर दिए गये थे.

(4) खाद्य और पेय के प्रदाय के लिए कुल राशि की बाबत कर उस दशा में उद्गृहीत नहीं किया जाएगा और देय नहीं होगा, जबकि उनके लिए पृथक-पृथक रूप से प्रभार नहीं लिया जाता है और जिनके विक्रय पर होटल मालिक मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क्रमांक 2 सन् 1959) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है.

* * * * * * * * * * * * * * *

धारा 6 विक्रय कर अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना. इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए विक्रय कर अधिनियम की धारा 3, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 तथा 80 और उनके अधीन जारी किए गये नियम, आदेश और अधिसूचनाएं किसी होटल मालिक को इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय और देय कर की बाबत यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी मनोनीत धाराएं इस अधिनियम में यथावश्यक परिवर्तनों सहित समाविष्ट कर की गई हैं और उन धाराओं के अधीन जारी किए गये नियम, आदेश और अधिसूचनाएं इस अधिनियम में इस प्रकार समाविष्ट की गई सुसंगत धाराओं के अधीन यथावश्यक परिवर्तनों सहित जारी की गई है.

* * * * * * * * * * * * * * *

धारा 7 कर का निर्धारण, संग्रहण आदि. इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम का क्रियान्वयन, जहां तक कि वह होटल मालिकों पर कर के उद्गृहण निर्धारण और उनसे कर के संग्रहण से संबंधित है, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 3 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों में निहित होगा और तद्नुसार वे प्राधिकारी जो विक्रय कर अधिनियम के अधीन कर का निर्धारण पुनर्निधारण, संग्रहण करने और उसके संदाय को प्रवर्तित कराने के लिए तत्समय सशक्त है, इस अधिनियम के अधीन होटल मालिक द्वारा देय कर का, जिसके अंतर्गत कोई शास्ति या अन्य रकम भी है, निर्धारण, पुनर्निधारण, संग्रहण इस प्रकार करेंगे और उसके संदाय को इस प्रकार प्रवर्तित कराएंगे मानों ऐसे होटल मालिक द्वारा इस अधिनियम के अधीन या विक्रय कर अधिनियम के उन उपबन्धों के, जो धारा 6 के अधीन होटल मालिकों को इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कर के संबंध में लागू किए गये हैं, अधीन देय कर या शास्ति या कोई अन्य रकम उस अधिनियम के अधीन देयकर या शास्ति या कोई अन्य कर है और इस प्रयोजन के लिए वे उस अधिनियम द्वारा या पृथक अधीन उन्हें प्रदत्त की गई समस्त शक्तियों का उनमें से किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे.

* * * * * * * * * * * * * * *

धारा 8 रजिस्ट्रीकरण. (1) इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी प्रत्येक होटल मालिक समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ऐसी रीति और प्रारूप से अभिप्राप्त करेगा जो विहित किया जाए.

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक होटल मालिक इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से साठ दिन के भीतर या यदि उस तारीख को कारबार नहीं कर रहा था तो उसके कर का संदाय करने के लिए दायी होने के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मन्जूर किए जाने हेतु आवेदन करेगा.

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित कोई होटल मालिक उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसके लिए आवेदन करने में असफल रहता है, वहां समुचित विक्रय कर अधिकारी, उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसे यह निर्देश दे सकेगा कि यह ऐसी राशि का, जो पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी, किन्तु जो पाँच सौ रुपये से कम नहीं होगी, शास्ति के रूप में संदाय करें.

(4) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर किए गये आवेदन पर मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दायित्व की तारीख से विधि मान्य होगा. ऐसी कालावधि के पश्चात् किए गये आवेदन पर मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र आवेदन की तारीख से विधिमान्य होगा.

(5) वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 22 तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंध, जहां तक कि वे उस अधिनियम के अधीन मंजूर किए गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्रों के संशोधन और रद्दकरण से संबंधित है, इस धारा के अधीन मंजूर किए गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्रों को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.

* * * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.